विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र, भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

****

फा.सं.एस/आइ-101/2015 सीप्ज़-सेज़/ 37885 दिनांकः 19.12.2016

अनुदेश संख्या 34 /2016

विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले सभी सेज़ों के सभी विनिर्दिष्ट अधिकारियों के ध्यान में यह लाया जाता है कि स्क्रैप मूल्यांकन के लिए समान परिपाटी के उद्देश्य से सभी सेज़ों में स्कैप के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः-

सेज़ यूनिटों द्वारा उत्पन्न स्क्रैप जोकि डीटीए में विक्रय के लिए हो, का मूल्यांकन सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के साथ पठित सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण (आयातित माल के मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2007 के उपबंधों के आधार पर किया जाएगा । तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि स्क्रैप का मूल्यांकन एनआइडीबी (नेशनल इम्पोर्ट डाटा बेस) में उपलब्ध समकालिक मूल्यों के आधार पर जो महानिदेशक, मूल्य निर्धारण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क द्वारा उनके वेबसाइट पर रखा जाता है, के आधार पर किया जाएगा जिससे ऐसे तथा इस तरह के मालों के अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मूल्यों का पता चलता है ।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़, मुंबई

प्रतिः-

1) सभी सुरक्षा अधिकारी - विकास आयुक्त / सीप्ज़ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले
2) सूचना पट्ट / वेबसाइट
3) कार्यालय प्रति

OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ -SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVERNMENT OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY,
DEPARTMENT OF COMMERCE
ANDHERI (EAST), MUMBAI – 400 096

F. No. S/I-101/2015 SEEPZ-SEZ/37835 Date : 19/12/2016

INSTRUCTION NO. 34/2016

It is brought to the notice of all Specified Officers in all SEZ's, falling under the jurisdiction of Development Commissioner/SEEPZ-SEZ, that the below mentioned procedure should be followed for valuation of scrap in all SEZs, in order to have a uniform practice for scrap valuation.

The valuation of scrap generated by SEZ Units and meant for sale to DTA, should be carried out on the basis of the provisions of Section 14 of the Customs Act, 1962 read with Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules, 2007. Accordingly, it has been decided that the valuation of scrap will be carried out on the basis of contemporaneous values available in NIDB (National Import Data Base) maintained by the Directorate General of Valuation, Central Board of Excise & Customs, on their website, which reflects the current international prices of such and like goods.

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

19/12/2016
(V. P. Shukla)
Joint Development
Commissioner
SEEPZ-SEZ, Mumbai

Copy to:-
1) All SO's under jurisdiction of DC/SEEPZ.
2) Notice Board / Website.
3) Office copy